न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

पील संख्या – 51/24

GCMS NO 2024/107

1. रामचरण पुत्र भोरया
2. बद्री पुत्र भोरया
3. बृजलाल पुत्र भोरया
4. रामेश्वर पुत्र रतनलाल जातियान मीना निवासीयान बिनेगा तहसील व जिला गंगापुर सिट
5. मौसरिया पुत्र रतनलाल जाति मीना निवासी बिनेगा तहसील व जिला गंगापुर सिटी(मृतक)
   5/1. राजन्ती पत्नि मौसरिया
   5/2. पप्पू पुत्र मौसरिया
   5/3. बबलू पुत्र मौसरिया
   5/4. लोकेश पुत्र मौसरिया
   5/5. अमरी पुत्री मौसरिया
   5/6. मीना पुत्री मौसरिया
   5/7. काडी पुत्री मौसरिया
   5/8. मुकेशी पुत्री मौसरिया
6. रामकिशोर पुत्र रतनलाल जातियान मीना निवासीयान बिनेगा तहसील व जिला गंगापुर सिटी

अपीलांट

बनाम

1. हरगोविन्द पुत्र रामदेव जाति मीना निवासी डिबस्या तहसील व जिला गंगापुर सिटी
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 66/2024 निर्णय दिनांक 28.5.24 न्यायालय उपजिला कलक्टर, गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री गोपाल शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 श्री मोहम्मद इस्लाम

दिनांक 04.11.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 28.5.24 न्यायालय उपजिला कलक्टर, गंगापुर सिटी द्वारा ... में अपीलांट/वादीगण

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिन... न्याय... का द्वारा एक वाद पत्र घोषणा खातेदारी, इन्जा... की आराजी ख0न0 पेश किया कि ग्राम डिबस्या तहसील गंगापुर ... 1256,1259,1260,1261, 1265,1266,1267,1268,1269,1271,1264/1809,1270,1263,1253...

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:53:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

1262,1264 कुल किता 17 कुल रकबा 8.74 है0स्थित है। यह भूमि वादीगण के पिता भोरया व रतनलाल ने प्रतिवादी न0 1 व उसके पिता रामदेव व रामजीलाल पुत्र भोरया से दिनांक 8.9.1960 को 6750/—रूपये मे क्रय कर ली और कब्जा भूमि पर क्रय दिनांक से कर लिया। प्रतिवादी न0 1 तथा उसके पिता रामदेव व रामजीलाल ने उक्त भूमि के विक्रय का इकरारनामा भी वादीगण के पिता भोरया व रतनलाल के पक्ष मे 2/—रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 8.9.60 को तहरीर कर दिया और अपने हस्ताक्षर निशानी कर दिये एवं गवाही बृजलाल व भरतलाल की करा दी। वादीगण के पिता की मृत्यु हो चुकी है। वादीगण के पिता की मृत्यु के बाद वादीगण ही उक्त आराजीयात पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। भूमि विक्रय करने के बाद प्रतिवादी न0 1 के पिता रामदेव व रामजीलाल ने सन 1975 मे वादीगण के खिलाफ एक दावा उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के यहाँ पेश किया और उसमे वादीगण के पिता भोरया व रतनलाल ने जबाब पेश किया। वाद तनकीयात उक्त प्रकरण राजस्व मंडल अजमेर तक चला और राजस्व मण्डल अजमेर ने वादीगण का वाद जो इस प्रकरण मे प्रतिवादी न0 1 के पिता रामदेव व रामजीलाल थे खारिज कर दिया। और भूमि विवादग्रस्त पर वादीगण के पिता भोरया व रतन का माना । राजस्व मुकदमे मे हार जाने के बाद प्रतिवादी न0 1 ने एक परिवाद पत्र उक्त भूमि बाबत अन्तर्गत धारा 145 दण्ड प्रकिया संहिता उपजिला दण्डनायक गंगापुर सिटी के यहाँ पेश किया। उप जिला दण्डनायक ने दिनांक 30.11.2000 को कुर्की मे लेने के आदेश पारित किये। जिसकी निगरानी वादीगण ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गंगापुर सिटी मे पेश की गई जो दिनांक 20.10.03 को स्वीकार हुई एवं विवादित भूमि पर कब्जा वादीगण का माना गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गंगापुर के निर्णय दिनांक 20.10.03 की निगरानी प्रतिवादी हरगोविन्द ने माननीय उच्च न्यायालय जयपुर मे पेश की जो दिनांक 23.1.04 को निरस्त कर दी और धारा 145 के प्रकरण मे निस्तारण के बाद वादीगण को उक्त भूमि का कब्जा भी रिसीवर ने दिनांक 7.5.04 को वादीगण को दे दिया। दिनांक 8.9.60 से विवादित भूमि पर कब्जा चला आ रहा है और कानूनन वादीगण ही उक्त भूमि के काबिज खातेदार व काश्तकार हो गये। किन्तु सरकारी अभिलेखो मे यह भूमि की खातेदारी प्रतिवादी न0 1 के नाम चली आ रही है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की कब्जे शुदा भूमि को निलाम करने एवं बेदखल करने की धमकी दी गई। जबकि प्रतिवादी न0 1 के उक्त भूमि से अधिकार पहले ही समाप्त हो चुके है ना उक्त भूमि से कोई संबंध है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादीगण ही उक्त भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार हो गये है। यदि उक्त भूमि वादीगण की खातेदारी व कब्जे की घोषित नही की गई और प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तथा वादीगण के नाम सरकार भू अभिलेखो मे नाम दर्ज नही [illegible] प्रतिवादी गण चालाकी से वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल करवा सकते है। इस प्रक[illegible] आराजीयात भूमि ख0न0 [illegible] 1259,1260,1261, 1265,1266,1267,1268,1269,1271,1264/1809,1270,1263,126[illegible] 1262,1264 कुल किता 17 कुल रकबा 8.74 है0 [illegible] की राजस्व अभिलेख मे वादीगण के नाम दर्ज की जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:53:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

कि उक्त भूमि के वादीगण के कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न नही करे ना ही अन्य से करावे तथा भूमि को हस्तान्तरित नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से अपीलाट/वादीगण द्वारा चाही गई।

अधिनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादीगण/रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी दिनांक 4.10.13 को प्रस्तुत किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट/वादीगण का वाद पत्र खारिज किया गया। जिसकी अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा मे पेश की गई जो न्यायालय हाजा द्वारा पुनःसुनवाई हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की गई। जिसकी अपील प्रतिवादी/रेस्पो0 द्वारा माननीय राजस्व मंडल अजमेर मे की गई। माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा रेस्पो/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज की जाकर न्यायालय हाजा की अपील संख्या 4/2014 निर्णय दिनांक 1.10.14 की पुष्टि करते हुए अधिनस्थ/विचारण न्यायालय को मूल वाद मे तनकी संख्या 6 व 7 का प्रारंभिक तनकी के रूप मे विनिश्चय करते हुए निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मंडल अजमेर के निर्देशानुसार तनकी संख्या 6 व 7 का भार प्रतिवादी न0 1 पर धारित करते हुए उभयपक्ष की बहस तनकीयात पर सुनी जाकर वादीगण/अपीलांट का वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पर लम्बे समय से वादीगण/अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादीगण वाद लाने का अधिकार रखते है तथा कृषि भूमि के संबंध मे सुनवाई का अधिकार अधिनस्थ न्यायालय को प्राप्त है। खातेदारी की घोषणा एवं कब्जा घोषित करने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। इस तथ्य को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नही किया गया ना ही न्यायिक दृष्टांत जो लौडसिप ने प्रतिपादित किये है उनका भी विश्लेषण नही किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 6 पूर्ण रूप से वादीगण के पक्ष मे तथा प्रतिवादी न0 1 के खिलाफ निर्णित की है। जिसमे साफ साफ वर्णित किया है कि वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादी संख्याा 1 के पूर्वजो द्वारा अनरजिस्टर्ड दस्तावेज पर भूमि का बेंचान किया गया एवं भूमि पर लम्बे समय से वादीगण का कब्जा है इसी आधार पर दावा लेकर आये है। उक्त तथ्य अधिनस्थ न्यायालय ने स्वीकार किये है। ऐसी सूरत मे तनकी संख्या 7 प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष मे गलत निर्णय कर वादीगण का दावा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत गलत रूप से खारिज किया है। प्रतिवादी न0 1 ने अपने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मे दर्ज किये है वे ही तथ्य अपने जवाब दावे मे अंकित किये है। इन

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:53:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

2 लैण्ड होल्डर ...

तथ्यो के आधार पर दावे मे विवाद बिन्दु भी तय होकर मामले मे वादीगण की साक्ष्य चल रही है। इसलिए इन तथ्यो का निर्धारित विस्तृत साक्ष्य के आधार पर कानूनन होना चाहिए था न कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तह मामला मेरिट के आधार पर तय न करके अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे भारी त्रुटि की है। अधिनस्थ न्यायालय ने दावे मे डिक्री नही बनाकर कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय को निर्णय के वक्त दावे के एवरमेंट को देखना चाहिए था। जिसे नजर अंदाज किया गया है। रेसज्यूडिकेटा के क्षैत्राधिकार का प्रश्न आदेश 7 नियम 11 सीपीसी से कोई संबंध नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 63(4) के बारे मे कतई विचारण नही किया है जो कानूनी भूल है। वादीगण/अपीलांट को सिविल तथा राजस्व न्यायालयो द्वारा कब्जा विधिक रूप से सुपुर्द किया है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र के आधार पर दावे का निर्णय किया जाना कानूनन नही है। दावे मे किये गये अभिकथनो के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए था। जहॉ दावे मे विधि तथ्यो का बिन्दु मिश्रित हो ऐसी सूरत मे आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान लागू नही होते है। सिविल न्यायालयो द्वारा भी भूमि पर वादी का कब्जा माना है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय को पत्रावली साक्ष्य हेतु भिजवाई जावे।

जबाब मे रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अवगत कराया कि विवादित भूमि रेस्पो0/प्रतिवादी संख्या 1 की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। अपीलांट द्वारा विवादग्रस्त भूमि को दिनांक 8.9.60 को कय करना पूर्णरूपेण गलत तथ्य है। जबकि सही बात यह है कि विवादग्रस्त भूमि को रेस्पो0 के बुर्जगान द्वारा वादी/अपीलांट के बुर्जगान के रहन रखी थी। जिसे छुडा लिया गया और कब्जा प्राप्त कर लिया। वादी /अपीलांट ग्राम डिबस्या मे रहता ही नही है बल्कि ग्राम बिनेगा मे रहता है। वादीगण/अपीलांट द्वारा वर्णित तथाकथित वयनामा पूर्णरूपेण गलत व फर्जी है। भूमि रहन थी जिसके साबिक ख0न0 621/1 लगायत 621/7 व 7/1 रहे है जिनका इन्द्राज खातेदारी व कब्जा रेस्पो/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी व कब्जा काश्त चला आ रहा है। पक्षकारो के बुर्जगो के मध्य मुकदमेबाजी चली उस समय उक्त भूमि को रहन से वागुजास्त की जाकर रेस्पो/प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे मे रही जिसकी लिखा पढी मिती आसाढ सुदी सम्वत 2031 दिनांक 25.6.74 को हुई। उसके बाद कब्जा काश्त खातेदारी चली आ रही है। जहॉ तक धारा 145 सीआरपीसी के आदेश मे भूमि रिसीवरी मे लेने का प्रश्न है मौके पर तहसीलदार द्वारा कब्जा लेते वक्त भी भूमि पर रेस्पो/प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा था। जो फर्द मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है। धारा 145 सीआरपीसी की कार्यवाही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से वाधित है। वादीगण/अपीलांट भूमि दिनांक 8.9.60 को कय करना एवं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अधिकार अर्जित होना अंकित करते है जो स्टेटमेंट विरोधाभासी है। वादग्रस्त भूमि से [illegible] वादीगण का कोई वास्ता संबंध नही है। इस कारण किसी प्रकार [illegible] का अधिकारी नही है। वादग्रस्त भूमि का रेस्पो/प्रतिवादी खातेदार है [illegible] चले आ रहे है। इस भूमि के बाबत राजस्व मुकदमे व दीवानी अदालतो मे [illegible] उनका अंतिम निर्णय हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:53:58 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

चुका है। भूमि को रहन से मुक्त कराने के पश्चात से भूमि पर रेस्पो0/प्रतिवादी का कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/अपीलांट का दावा रेसज्यूडिकेटा के तहत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानो के तहत ही खारिज किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मंडल के निर्देशान्तर्गत तनकी संख्या 6 व 7 का पूर्ण विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। इकरारनामा दिनांक 8.9.60 एवं कब्जे के आधार पर राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षैत्राधिकार प्राप्त नही है। अपीलांट फर्जी लिखावट के आधार पर एवं कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहते है। ऐसी लिखावट के आधार पर संविदा की विनिर्दिष्ट पालना के आधार पर सिविल न्यायालय को ही क्षैत्राधिकार प्राप्त है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के अनुरूप ही वादीगण/अपीलांट का वाद पत्र खारिज किया गया है। इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि आराजी ख0न01265,1266,1267,1268,1269,1271, 1264/1809,1270,1263,1253,1255,1256,1259,1260,1261, 1262,1264 कुल किता 17 कुल रकबा 8.74 है0 वाके ग्राम डिबस्या मे स्थित है। वादीगण/अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे इकरारनामा दिनांक 8.9.60 से भूमि को कय किया जाना एवं कय दिनांक से कब्जा होने के आधार पर ही दावा प्रस्तुत किया था। रेस्पो0 अधिवक्ता का कथन रहा कि भूमि रेस्पो0 के बुर्जगान द्वारा अपीलांट/वादीगण के बुर्जगान के यहॉ रहन रखी थी परन्तु उनके द्वारा आपस मे मुकदमाबाजी होने के कारण आसाढ सुदी संबंत 2031 दिनांक 25.6.74 को रहन से बागुजास्त हो चुकी थी। रहन की आराजी पर किसी प्रकार का प्रतिकूल कब्जा लागू नही होता है। वादी/अपीलाट द्वारा जो लिखावट दिनांक 8.9.60 बताई गई है वह अपंजीकृत दस्तावेज है। अपंजीकृत दस्तावेज साक्ष्य मे ग्राहय नही है। अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे खातेदार काश्तकार के अंकनो पर तरजीह नही दी जा सकती है। अपीलांट/वादीगण द्वारा वाद पत्र इकरारनामा दिनांक 8.9.60 एवं उसी इकरारनामे के दिन से भूमि पर कब्जा होने के आधार पर ही दावा खातेदारी घोषणा का पेश किया गया था। जबकि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है। इकरारनामा दिनांक 8.9.60 के आधार पर संविदा की विनिर्दिष्ट पालना के आधार पर सिविल न्यायालय को ही क्षैत्राधिकार प्राप्त है। माननीय राजस्व मंडल की फुल बैंच मे भी यह मत प्रतिपादित किया है कि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार राजस्व न्यायालय द्वारा प्रदान नही किये जा सकते है। अपीलांट/वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे भी वाद पत्र एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने हेतु पेश किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मंडल के निर्देशान्तर्गत कानूनी प्रकिया का पूर्ण रूप से पालन किया जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जिसमे

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:53:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनरथ उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के मुकदमा न0 66/24 उनवानी रामचरण वगै0 बनाम हरगोविन्द वगै0 निर्णय दिनांक 28.5.2024 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:53:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner